P|18840
1|0

अति तत्काल
स्पीड पोस्ट

87

No. 9/7/2013-NE-II.Vol.II
भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
पूर्वोत्तर प्रभाग / NE Division

सत्यमेव जयते
Government of India

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001
North Block, New Delhi – 110001
दिनांक 30-09-2013

आदेश

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानुसार सूचना उपलब्ध कराये जाने के हेतू प्रथम अपील।

****

श्री सुरेंद्र पाल सिंह ने अपनी प्रथम अपील दिनांक 9 सितंबर, 2013 (जो इस प्रभाग को 12 सितंबर को प्राप्त हुई।) में "इनर लाईन परमिट" के संबध में विविध जानकारी उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है।

2. मैनें अपील एवं संबधित फाईल का अवलोकन किया । श्री जे0 पी0 एन0 सिंह, मुख्य जन सूचना अधिकारी, ने आपके पत्र दिनांक 5.8.2013 में "इनर लाईन परमिट" के संबाध में मांगी गई विविध सूचना में से केवल बिंदू संख्या 1 में मांगी गई सूचना इस मंत्रालय के पास उपलब्ध है जो आपको इस मंत्रालय के पत्र सं **9/7/2013-NE.II.Vol.II** दिनांक 05.09.2013 के द्वारा उपलब्ध करा दी है।

3. आपके द्वारा बिदूं 2, 3 एवं 4 में मांगी गई सूचना अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, व नागालैंड की राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हैं जिसे आपको प्रदान करने हेतू उपरोक्त राज्यों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त विषय पर किसी भी सूचना हेतू उपरोक्त राज्य सरकारों से संपर्क किया जा सकता है।

4. अतः, अपील का निपटान हुआ।

5. इस आदेश के विरुद्ध अपील, यदि करनी हो तो, केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास, इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप–धारा (3) में अनुबंधित है, कर सकते हैं।

जारी
ISSUED
01 OCT 2013
गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक
हस्ताक्षर/Sign.
प्रा० सं०

CC

भवदीय,
शंभु सिंह
(शंभु सिंह)
संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
दूरभाष 011-23094648

प्रतिलिपि प्रेषित :-
1. श्री सुरेंद्र पाल सिंह, 11–नीलकण्ठधाम कालोनी (निकट अलखनाथ मंदिर), बरेली, उ0 प्र0– 243003
2. आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली,– कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2013 आर टी आई के संदर्भ में

C. No. 16403/25/NE/13

88

स्पीड–पोस्ट

सेवा में

श्री शंभू सिंह,
संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर)/प्रथम अपीलीय अधिकारी
कक्ष सं0 109–सी,
गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली–110001

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु **प्रथम अपील**।

महोदय,

निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मेरे पत्र दिनांक 5–8–2013 द्वारा (छायाप्रतिलिपि संलग्नक–1) में अंकित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था जिसके कम में श्री जे0पी0एन0 सिंह, निदेशक (पूर्वोत्तर), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर प्रभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र सं0 9/7/2013–NE–II. Vol.II, दिनांक 5–9–2013 (छायाप्रतिलिपि संलग्न–2) द्वारा मुझे पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अपितु मेरे पत्र में अंकित केवल बिन्दु संख्या–1 से सम्बन्धित सूचना ही उपलब्ध करायी गयी है एवं मेरे पत्र दिनांक 5–8–2013 में अंकित बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 4 से सम्बन्धित सूचना अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम व नागालैण्ड की राज्य सरकारों के पास उपलब्ध बतायी गयी है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानानुसार मैं अपने पत्र दिनांक 5–8–2013 में अंकित पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम अपील आपकी सेवा में इस निवेदन के साथ प्रेषित कर रहा हूँ कि कृपया **मेरे पत्र दिनांक 5–8–2013 में अंकित बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 4 से सम्बन्धित पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।**

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।
02 नं0

दिनांकः 9 सितम्बर, 2013

भवदीय,

S.P. Singh
9/9/13
(सुरेन्द्र पाल सिंह)
11–नीलकंठधाम कालोनी
(निकट अलखनाथ मन्दिर)
बरेली, उ0प्र0–243003

निदेशक (एन.ई.)
12/9

12/9
SO/NE-II

संलग्नक -2

अति तत्काल
स्पीड पोस्ट

84

No. 9/7/2013-NE-II.Vol.II
भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
पूर्वोत्तर प्रभाग / NE Division

Government of India

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001
North Block, New Delhi – 110001
दिनांक 05-09-2013

सेवा में,

श्री सुरेंद्र पाल सिंह,
11–नीलकण्ठधाम कालोनी (निकट अलखनाथ मंदिर),
बरेली, उ0 प्र0– 243003

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानुसार सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

श्रीमान,

****

कृपया उपरोक्त वियष पर आपके पत्र दिनांकित 05.08.2013 जो कि इस गृह सचिव, गृह मंत्रालय को संबोधित था, को देखने का कष्ट करें । इसमें आपने "इनर लाईन परमिट" के संबध में विविध जानकारी मांगी है।

2 उपरोक्त पत्र में वांछित सूचना में से बिंदू संख्या 1 में मांगी गई सूचना इस प्रकार है–

भारत के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, व नागालैंड राज्यों में अन्य राज्यों के नागरिकों को आने–जाने हेतू "इनर लाईन परमिट" की आवश्यकता होती है। "इनर लाईन परमिट" **Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873** (अंग्रेजी प्रति सलंग्न) के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

3. शेष सूचना अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, व नागालैंड की राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हैं जिसे आपको प्रदान करने हेतू उपरोक्त राज्यों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आपसे अनुरोध है कि भविष्य में उपरोक्त विषय पर किसी भी सूचना हेतू उपरोक्त राज्य सरकारों से संपर्क किया जाए।

4. यदि आप प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अर्न्तगत इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर श्री शंभू सिंह, संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर), कक्ष संख्या 109–C, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001, के समक्ष अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(जे0 पी0 एन0 सिंह)
निदेशक (पूर्वोत्तर)
दूरभाष 011-23092485

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली,– कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2013 आर टी आई के संदर्भ में

संलग्नक-1 85

पंजीकृत

सेवा में,

गृह सचिव/जन सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानुसार सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानुसार मुझे निम्नलिखित सूचना **हिन्दी भाषा** में उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1-भारत के किन-किन पूर्वोत्तर राज्यों/स्थानों में भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों को जाने-आने हेतु **''इनर लाइन परमिट''** की आवश्यकता है? कृपया भारत सरकार के नवीनतम आदेश की छायाप्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

2-क्या भारत सरकार के अधीन पूर्वोत्तर राज्य (अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम) में गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत कार्मिकों के आश्रितों (माता-पिता, बहिन, पत्नी, पुत्र-पुत्री) को जाने-आने हेतु **इनर लाइन परमिट** आवश्यक है?

3-क्या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों/स्थानों में जाने-आने हेतु आवेदक को **इनर लाइन परमिट** डाक द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है?

4-भारत के पूर्वोत्तर राज्यों/स्थानों में जाने-आने हेतु **इनर लाइन परमिट** उ0प्र0 एवं दिल्ली स्थित किन-किन कार्यालयों से निर्गत किया जाता है? कृपया सम्बन्धित कार्यालयों का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता सूचित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु इस पत्र के साथ रू0 10/- का पोस्टल आर्डर संख्या 17ई-918192 दिनांक 05-08-2013 संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त सूचना डाक द्वारा मेरे निम्न पते पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः:-पोस्टल आर्डर सं0
17ई-918192
दिनांकः 5 अगस्त, 2013

भवदीय,
S P Singh 5/8/2013
(सुरेन्द्र पाल सिंह)
11-नीलकण्ठधाम कालोनी
(निकट अलखनाथ मन्दिर)
बरेली उ0प्र0-243003